संख्या-2/2019/113/तीन-2019-11(3)/09

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांक:08 मार्च, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए आल इण्डिया काशी राज ट्रस्ट वाराणसी को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को रामलीला के व्यय को वहन करने तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,000/-(रू0 पाच लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-701/तीन-2018-11(3)/09, दिनांक 29.8.2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,50,000/-की धनराशि स्वीकृत प्रदान की गयी थी। अवशेष धनराशि रू0 2,50,000/-(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृति धनराशि उन मदों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है।

(2) सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बिल को जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का ''फांटवार'' उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2019 तक कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत **''लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धमार्थ प्रयोजन के लिए दान-03-रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-5-313/दस-2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-113(1)/तीन-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद।

2- कोषाधिकारी, वाराणसी।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

5- जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, फोर्ट रामनगर, वाराणसी।

6- समन्वय सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
भैरव नाथ शुक्ल
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-113/तीन-2019-11(3)/09, दिनांक 08 मार्च, 2019 का संलग्नक

क्र0सं0	**व्यय की मद**	**धनराशि (रूपये में)**
(1)	रामभोग मन्दिरान एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध, दैनिक ब्राह्मण भोजन आदि	1,25,000.00
(2)	रामलीला पर व्यय	30,000.00
(3)	रामलीला भण्डारा पर व्यय	50,000.00
(4)	रामलीला पर व्यय	30,000.00
(5)	प्रशासनिक व्यय	15,000.00
	योग:	2,50,000.00 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)

भैरव नाथ शुक्ल
उप सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 001-113-2019/1 आवंटन तिथिः 19/03/2019

कोषागार: 27- वाराणसी वित्तीय वर्ष: 2018-19

अधिकारी/जनपद का संख्या: 4183- अधिकारी कार्यालय संख्या- 01

जिलाधिकारी

अनुदान संख्या- 84-सामान्य प्रशासन विभाग

लेखा शीर्षक: 2250- अन्य सामाजिक सेवायें

101-धमार्थ प्रायोजनों के लिए दान

03- राम लीला के व्यय तथा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान

कोषागार:वाराणसी			आयोजनेत्तर -मतदेय (धनराशि रूपये में)
मानक मद			पूर्व आवंटन प्रगामी आवंटन
20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250000	250000	500000
योग	250000	250000	500000

हरीराम

उप सचिव।